

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:-----/ नि०/रो०/ऋण/3-32/22,खण्ड-ड०

पटना,दिनांक: -----

संशोधित स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-516 दिनांक-27.03.2017 के आलोक में राज्य सम्प्रेषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2014-2015 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-05.06.2015 को चयनित आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा अररिया जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 179 लाभुकों का स्वीकृति आदेश संख्या 314 दिनांक 16.02.2018 के द्वारा निदेश दिया गया था। लेकिन क्रमांक सं० 89 एवं 91 पर 02 लाभुकों का किसी कारण वश खाता में राशि अंतरित नहीं हो सका इसलिए संशोधित स्वीकृत्यादेश तैयार किया गया है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतान के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

क्र.सं./ पूर्व का क्र.सं.	चयन सूची क्र.सं.	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1 89	698	ANJUM, W/o- MD MOBIN, Vill.- JHUWA BATURBARI, Block- ARARIA PS-TARABARI, PO- PATENGNA, Distt.-ARARIA-854311	A/c No.: 3518357282 CBIN0281866	STEEL WORK	100000	500	99500
1 91	2131	HUSN ARA, D/o- MD MOBIN, Vill.- JHUWA BATURBARI, Block- ARARIA PS-TARABARI, PO- PATENGNA, Distt.-ARARIA-854311	A/c No.: 3518356051 CBIN0281866	PHOTO STATE	100000	500	99500
TOTAL					200000	1000	199000

इस स्वीकृत्यादेश इस हद तक संशोधित समझा जाए। किन्तु स्वीकृत्यादेश संख्या-314 दिनांक 16.02.2018 में वर्णित अन्य शर्तें यथावत रहेगा।

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह0/-

प्रबंध निदेशक

ज्ञापक:- 2193

दिनांक:- 01-07-2022

प्रतिलिपि:- सभी ऋणधारकों /ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा /प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई० टी० मैनेजर को एस० एम० एस०/ ई-मेल करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक